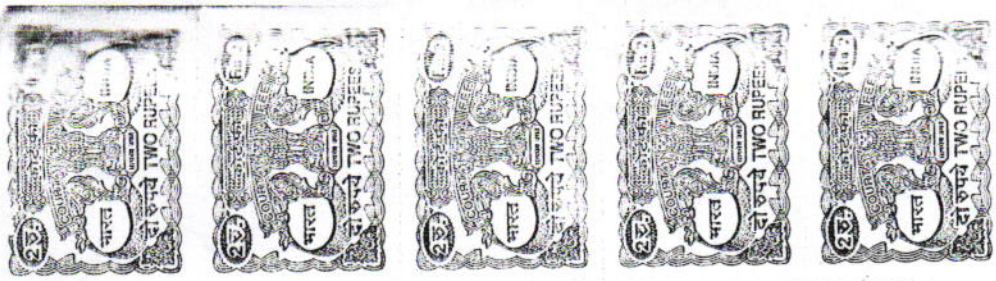

IN THE HON`BLE BOARD OF REVENUE, MADHYA PRADESH,

GWALIOR

नि०/3923-II-15

CASE NO. / 2015 Revision Petition

Applicant/Petitioner

Imrat Singh Yadav S/o Shri Ram Sahaye Yadav, Age- 45 years, Occu- Agriculturist R/o Village Palothar Tehsil & District Datia M.P.

V/s

Respondent

1. Shakuntala Devi W/o Jwala Singh
2. Ganga Singh S/o Jwala Singh
3. Nekpal So/ Jwala Singh
4. Kamla D/o Jwala Singh
5. Ilayichi D/o Jwala Singh
6. Kashmiri D/o Jwala Singh

All R/o Village Palothar District Datia M.P.

Revision petition under section 50 of M.P.L.R.C. arising out of order Dated 26.10.2015 passed by S.D.O. Datia in case no. 17/B-121/2015-16, Hence this revision petition.

MAY IT PLEASE THIS HON`BLE COURT,

The humble petitioner most respectfully begs to submit this application as under.

1. That, initially an complaint was made by the respondent wherein it was pleaded that, the respondents belongs to Schedule Tribe Category and their father being a member of Schedule tribe has no right to transfer the agriculture land bearing survey no. 1005, 1010 and 1011 situated at village Palother District Datia it was further pleaded that the petitioner has made the conspiracy and obtain a registered power of attorney from the father of the respondent and transfer the same in favour of the petitioners relative therefore, the aforesaid transaction is void.

2. That, on account of the same the learned S.D.O. has called the report regarding the matter consequently the R.I. has made the report wherein it was opened that the respondents father namely

..XIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 3923–दो/15 जिला – दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-9-16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन दिनांक 26–10–15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकों द्वारा कलेक्टर के समक्ष जनसुनवाई के दौरान एक आवेदन इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम पलोथर स्थित भूमि सर्वे नं. 1005, 1010/1 एवं 1011 उनके पिता ज्वालासिंह आदिवासी के नाम दर्ज थी । पिता की मृत्यु के बाद जब वे पटवारी के पास गए तब पटवारी ने बताया कि उक्त भूमि की पॉवर ऑफ अटार्नी ज्वालासिंह ने इमरतसिंह यादव के नाम था था उसके आधार पर उसने उक्त भूमि अपने पुत्र एवं रिश्तेदार को विक्रय करदी । आवेदन में यह भी लेख किया गया कि इमरतसिंह ने सरपंच रहते फर्जी मुख्त्यार नामा तैयार कराकर भूमि बेची है जबकि शासन की अनुमति के बिना आदिवासी की भूमि न तो अंतरित हो सकती है और ना ही बेची जा सकती है । आवेदन में भूमि वापिस दिलाए जाने का अनुरोध किया गया । उक्त आवेदन की जांच तहसीलदार द्वारा की जाकर मुख्त्यारनामा को	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं आदि के हस्ता
	संदिग्ध बताया गया एवं लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही करने एवं नामांतरण निरस्त किए जाने संबंधी प्रतिवेदन पेश किया गया । उक्त प्रतिवेदन पर से अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण दर्ज कर उनके न्यायालय के अनावेदकों को नोटिस जारी किए गए एवं उनके सुनने के उपरांत यह पाते हुए कि आवेदक मुख्य षडयंत्रकर्ता है उसके द्वारा अपने पुत्र एवं रिश्तेदार को रजिस्ट्री कराई है अतः उनके विरूद्ध प्राथिमिकी दर्ज कराई जाने एवं मुख्त्यारनामे के आधार पर नामांतरण का अधिकार ग्रामसभा/ग्राम पंचायत को न होना उल्लिखित करते हुए प्रतिवेदन कलेक्टर, दतिया को प्रेषित किया । इस प्रतिवेदन के आधार पर यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने गये । आवेदक की ओर से लिखित तर्क भी पेश किये गये हैं । 4/ उभयपक्षों के तर्कों एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया । प्रकरण के अवलोकन से यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभी केवल कलेक्टर को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, कलेक्टर द्वारा उक्त प्रतिवेदन के आधार पर कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है । आवेदक को अभी अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध है । आवेदक द्वारा जो तर्क एवं न्यायदृष्टांत इस न्यायालय के समक्ष पेश किए गए हैं वे उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर	

पक्षकारों एवं आदि के हस्ता

XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 3923–दो/15 जिला – दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	सकते हैं । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलख वापिस हो । सदस्य	